Nisha.Nisha latter.1

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक :– एफ 2(1)/म.बा.वि/आ.क.को/05/पार्ट 2 96712-744 जयपुर, दिनांक 21-6-2017

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
(समस्त)

विषय :– सामूहिक बचत एवं बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त दावों के शीघ्र निस्तारण कराने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानदेयकर्मियों के सामूहिक बचत एवं बीमा योजनान्तर्गत प्राप्त दावों का निस्तारण यथा समय हो, ताकि लाभार्थी को योजनान्तर्गत मिलने वाली राशि में अनावश्यक विलम्ब एवं कठिनाई/असुविधा न हो। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों की उक्त योजना में सम्मिलित महिला की मृत्यु होने तथा मानदेय सेवाओं से विमुक्ति होने पर उनके दावों को पूर्ण रूप से पूर्ति कर अतिशीघ्र भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एवं समूह बीमा इकाई, द्वितीय तल, जीवन प्रकाश, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर में प्रस्तुत करके निस्तारण कराया जावे। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में भी सामूहिक बचत एवं बीमा योजना के संबंध में समीक्षा की जावें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर संबंधित उप निदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

96745-97050
क्रमांक :– एफ 2(1)/म.बा.वि/आ.क.को/05/पार्ट 2 जयपुर, दिनांक 21-6-2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रबंधक (पे एवं स.बी.यो) शाखा कार्यालय, पेंशन एवं समूह इकाई, द्वितीय तल, जीवन प्रकाश, भारतीय जीवन बीमा निगम, भवानी सिंह रोड, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त योजनान्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त दावों का अतिशीघ्र निस्तारण करावे।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी ....(समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही यथासमय किया जाना सुनिश्चित करावें अन्यथा कि स्थिति में आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर